

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231454
SG-DL-E-29112021-231454

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| सं. 355] | दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 279 |
| No. 355] | DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943 | [N. C. T. D. No. 279 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय- I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

संख्या 01/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(131)/वित्त (व्यय- I)/2020-21/डीएस- I/334: दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना के पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 59 में उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(6) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी,—

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करी है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर—1 में अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन हर तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर— 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसपर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर— 3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
रविन्द्र कुमार, उप सचिव—I (वित्त)

नोट: मूल नियम अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में सं0फा0 03(10)/वित्त (राजस्व—I)/2017—18/डीएस—VI/342, दिनांक 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग—IV में सं0फा0 03(127)/वित्त (व्यय—I)/2021—22/डीएस—I/330, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 94/2020—राज्य कर, दिनांक 24 नवम्बर, 2021 के द्वारा किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi the 26th November 2021

No. 01/2021— State Tax

No. F.3(131)/Fin.(Exp-I)/2020-21/DS-I/334—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (First Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the 1st day of January, 2021.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(6) Notwithstanding anything contained in this rule, -

- a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1**, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding two months;
- a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period;

- (c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent. of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in **FORM GSTR-3B** for preceding tax period.”

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)

Note: The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification, dated the 22nd June, 2017, published *vide* No. F.3 (10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-IV/342, dated the 22nd June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 94/2020- State Tax, dated the 24th November 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* No. F.3(127)/Fin.(Exp.-I)/2021-22/DS-I/330 dated the 24th November 2021.